

राजस्थान सरकार  
जल संसाधन विभाग

क्रमांक :प.15(140)ज0सं0/13

जयपुर, दिनांक 9 OCT 2015

—: आदेश :-

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 3022/2014 श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डे बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.10.14 की पालना में सहायक अभियंता (सिविल/डिग्री) की वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व में सम्पन्न डीपीसी की बैठक की कार्यवाही को रिव्यू किया गया। रिव्यू डीपीसी ने श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डे, कनिष्ठ अभियंता को सहायक अभियंता (सिविल/डिग्री) की वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किये जाने की अनुशंसा की है। अतः विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसानुसार श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डे, कनिष्ठ अभियंता को राजस्थान अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिचाई शाखा) नियम, 1954 के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध सहायक अभियंता (सिविल/डिग्री) के पद पर पदोन्नत किये जाने के एतद्वारा आदेश जारी किये जाते हैं।

इस वर्ष में पदोन्नत सहायक अभियंताओं में इनका नाम श्री जगदीश कुमार से नीचे एवं श्री अब्दुल हमीद के ऊपर रहेगा।

आज्ञा से,

(पंकज ओझा)

शासन उप सचिव

TACI)

20/10

EECD

28/10/15

Conf cell

28/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल संसाधन, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति सभी संबंधित को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी
6. रक्षित पत्रावली।

2806  
28/10/15

19-10-15

शासन सहायक सचिव